विहंगावलोकन

अध्याय 1: कर प्रशासन

प्रत्यक्ष कर संग्रहण 32.2 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2005-06 में ₹ 1,65,216 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 3,78,063 करोड़ हो गया। कर संग्रहण की वृद्धि दर 2008-09 में कम हुई और 2009-10 में उसमें थोड़ा सुधार हुआ है।

कर-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात 2005-06 में 4.6 *प्रतिशत* से बढ़कर 2009-10 में 6.1 *प्रतिशत हो गया*। तथापि, 2007-08 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी गिरावट थी। जीडीपी में प्रत्येक इकाई वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष कर 2005-06 में 1.7 *प्रतिशत* की तुलना में 2007-08 में 2.6 *प्रतिशत* बढ़ा था। उत्प्लावकता (buoyancy) में 2009-10 में 0.8 *प्रतिशत* तक गिरावट थी जोकि 2008-09 में 0.5 प्रतिशत थी। उत्प्लावकता में गिरावट चिन्ता का विषय है।

निर्धारिती आधार गत पांच वर्षों में 14.4 *प्रतिशत* की दर से 2005-06 में 297.9 लाख करदाताओं से बढ़कर 2009-10 में 340.9 लाख करदाताओं का हो गया।

निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन (पूर्व-निर्धारण चरण) 2009-10 में सकल संग्रहण का 82.8 *प्रतिशत* था। 2009-10 में की गई कुल माँग का मात्र 65 *प्रतिशत* संग्रहीत हुआ था जिसमें 2007-08 में 74 *प्रतिशत* की तुलना में गिरावट दर्ज हुई थी।

कुल 8.7 लाख संवीक्षा निर्धारण मामलों में से विभाग ने 2009-10 में 4.3 लाख (49.3 *प्रतिशत*) मामलों का निपटान किया। संवीक्षा निर्धारणों का लम्बन 2005-06 में 45.7 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 50.7 प्रतिशत हो गया।

असंग्रहीत पड़ी प्रमाणित माँग 2008-09 में ₹ 27,461 करोड़ की तुलना में 2009-10 में ₹ 95,122.4 करोड़ (96.6 *प्रतिशत*) थी जिसमें 246.4 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज हुई थी।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण की कुल लागत मुख्य रूप से स्थापना लागत में वृद्धि के कारण 2009-10 में बढ़कर 0.73 *प्रतिशत हो गई।*

सरकार ने 2009-10 में ₹ 12,951 करोड़ (22.7 *प्रतिशत*) के ब्याज सहित ₹ 57,101 करोड़ का प्रतिदाय किया। महत्वपूर्ण बात है कि लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों की संख्या 2005-06 में 5.7 लाख से बढ़कर 2009-10 में 19.4 लाख हो गई।

आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने लक्षित लेखापरीक्षा का 69.8 *प्रतिशत* पूरा किया। आंतरिक लेखापरीक्षा में पूर्व में जाँच किए गए निर्धारणों में हमारे द्वारा इंगित गलतियों से आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता प्रदर्शित होती है। 2009-10 में आंतरिक

लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गए प्रमुख निष्कर्षों के मात्र 12.6 *प्रतिशत* पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रति विभागीय प्रतिक्रिया स्पष्टतया अपर्याप्त थी।

अध्याय II: लेखापरीक्षा प्रभाव

विगत पाँच वर्षों में सरकार ने हमारे द्वारा बताई गई विसंगतियों को सही करने के लिए पाँच विधायी संशोधन किए थे। इसमें 1.4.2010 से प्रभावी धारा 200ए को समाविष्ट करते हुए वित्त अधिनियम 2009 में किया गया एक संशोधन शामिल था।

विभाग ने हमारे निष्कर्षों के आधार पर ₹ 449.3 करोड़ की वसूली की।

इस प्रतिवेदन में टिप्पणी के लिए मंत्रालय को जारी ₹ 5,910.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले 453 मामले शामिल हैं। राजस्व सुरक्षा के हित में हमारे निष्कर्षों पर विलम्बित विभागीय प्रतिक्रिया चिंता का विषय है।

हमारे विश्लेषण ने यह दर्शाया है कि 2008-09 में पूरे हुए संवीक्षा निर्धारणों में गलतियों की घटनाएं 4.5 *प्रतिशत* थी। गलत माँगों का कर प्रभाव ₹ 12,369.8 करोड़ था जिसका विभाग द्वारा की गई कुल माँग पर 22 *प्रतिशत* तक प्रभाव होगा।

विभाग 2009-10 के दौरान हमारे द्वारा माँगे गए 13.5 *प्रतिशत* के अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहा।

अध्याय III: निगम कर

इस प्रतिवेदन में टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी ₹ 2,104.1 करोड़ के कर प्रभाव वाले 288 मामले शामिल हैं।

मंत्रालय ने ₹ 248.4 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले 95 मामलों में हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है। इनमें से विभाग ने ₹ 216.7 करोड़ के कर प्रभाव वाले 75 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी की है और ₹ 20.7 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 अन्य मामलों में उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की है। अधिकांश निर्धारणों में अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद गलतियाँ हुई थीं। अपात्र रियायतें गलतियों का 91 *प्रतिशत* थी; शेष 9 *प्रतिशत* गणितीय एवं अन्य गलतियों के कारण हुई थीं।

अध्याय IV:

भाग क - आयकर

इस प्रतिवेदन में टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी ₹ 3,800.5 करोड़ के कर प्रभाव वाले 121 उच्च मूल्य के मामले शामिल हैं।

मंत्रालय ने ₹ 93 करोड़ के कर प्रभाव वाले 46 मामलों में हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है। इन 46 मामलों में से विभाग ने पांच मामलों में ₹ 69.5 लाख की वसूली की, ₹ 90 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी की और ₹ 2.4 करोड़ के कर प्रभाव वाले पाँच अन्य मामलों में उपचारी कार्रवाई शुरू की। संगणना में गलतियों एवं चूकों से 52 *प्रतिशत* गलतियाँ हुई जबकि 26 *प्रतिशत* गलतियाँ निर्धारितियों को दी गई अपात्र रियायतों के कारण और 19 *प्रतिशत* आय निर्धारण की विफलता के कारण थीं।

भाग ख - वेतनेत्तर हित लाभ कर

इस प्रतिवेदन में टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी ₹ 4.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 15 उच्च मूल्य के मामले शामिल हैं।

मंत्रालय ने ₹ 4 करोड़ के कर प्रभाव वाले 12 मामलों में हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है। विभाग ने सभी 12 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी कर ली है। तीन मामलों में वेतनेत्तर हित लाभ की संगणना में गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 59.6 लाख के वेतनेत्तर हित लाभ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

भाग ग - सम्पत्ति कर

इस प्रतिवेदन में टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी ₹ 1.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 29 उच्च मूल्य के मामले शामिल हैं।

मंत्रालय ने ₹ 30.7 लाख के कर प्रभाव वाले 19 मामलों में हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है। इनमें से विभाग ने पाँच मामलों में ₹ 6.5 लाख की वसूली की और ₹ 24.2 लाख के कर प्रभाव वाले 14 अन्य मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी की। दस मामलों में निर्धारण अभिलेखों से सम्बद्ध न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.3 करोड़ के सम्पत्ति कर का अनुद्ग्रहण हुआ।